हरियाणा सरकार

खाद्य तथा पूर्ति विभाग

आदेश

दिनांक 15 सितम्बर, 2008

संख्या का० आ० 87/पं० अ० 1/1949/धा० 3/2008.—पूर्वी पंजाब ईंट प्रदाय नियंत्रण अधिनियम, 1949 (1949 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 1), की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा ईंट प्रदाय नियंत्रण आदेश, 1972, को आगे संशोधित करने के लिए, निम्नलिखित आदेश बनाते हैं, अर्थात् :—

1. यह आदेश हरियाणा ईंट प्रदाय नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2008, कहा जा सकता है।

2. हरियाणा ईंट प्रदाय नियंत्रण आदेश, 1972 (जिसे, इसमें, इसके बाद, उक्त आदेश कहा गया है) में, खण्ड 4 में, उप-खण्ड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) जिला मजिस्ट्रेट कारण अभिलिखित करके किसी अनुज्ञप्ति को मंजूर या नवीकृत कर सकता है या मंजूर करने से इंकार कर सकता है या नवीकृत करने से इंकार कर सकता है, बशर्ते कि भट्ठे का स्थल उन दूरियों से कम जो नीचे इंगित की गई हैं पर अवस्थित है :—

प्रवर्ग	दूरी	दूरी का माप	खण्ड 21 के अधीन अनुमत्त की जाने वाली अधिकतम छूट, यदि कोई हो
1	2	3	4
(क) बाईपास (ख) अनुसूचित सड़क (ग) अन्य जिलों की पक्की सड़क (घ) ग्राम जोड़ सड़क	(क) 100 मीटर (ख) 30 मीटर (ग) 30 मीटर (घ) 30 मीटर	दूरी आरक्षित सड़क के निकटतम किनारे से मापी जानी है।	(क) छूट योग्य नहीं (ख) छूट योग्य नहीं (ग) छूट योग्य नहीं (घ) छूट योग्य नहीं
(ङ) क तथा ख वर्ग शहरों तथा ग वर्ग शहरों/कस्बों के लिए नगरपालिका सीमाएं	क वर्ग - 3 किलोमीटर ख वर्ग - 2 किलोमीटर ग वर्ग - 800 मीटर	दूरी नगरपालिका सीमाओं के निकटतम भाग से क्रो फलाई के रूप में मापी जानी है।	(ङ) अधिकतम 20% तक।
(च) गांव की आबादी	800 मीटर	दूरी फिरनी के बाहरी किनारे के निकटतम भाग से क्रो फलाई के रूप में मापी जानी है तथा जहां फिरनी नहीं है वहां दूरी आबादी के बाहरी किनारे से मापी जानी है।	(च) अधिकतम 20% तक।

प्रवर्ग	दूरी	दूरी का माप	खण्ड 21 के अधीन अनुमत की जाने वाली अधिकतम छूट, यदि कोई हो
1	2	3	4
(छ) विद्यालय/डिस्पेंसरी तथा हस्पताल (ज) अन्य शैक्षणिक तथा सार्वजनिक उपयोगी संस्थाएं (झ) सार्वजनिक पार्क	प्रत्येक एक किलोमीटर	दूरी परिसीमा/दीवार के निकटतम भाग से क्रो फलाई के रूप में मापी जानी है	(छ) अधिकतम 20% तक। (ज) अधिकतम 20% तक। (झ) अधिकतम 20% तक।
(ञ) बाग/पौधशाला/वन पौधशाला (त) आरक्षित वन	पूर्व-पश्चिम तथा उत्तर-दक्षिण प्रत्येक एक किलोमीटर।	दूरी निकटतम संस्था की परिसीमा से क्रो फलाई के रूप में मापी जानी है।	(ञ) अधिकतम 10% तक। (त) अधिकतम 10% तक।
(थ) बिजली की ट्रांसमीशन लाईनें (220 किलोवाट से कम नहीं)	600 मीटर (ट्रांसमीशन लाईनों के दोनों ओर)	दूरी निकटतम ट्रांसमीशन लाईन से क्रो फलाई के रूप में मापी जानी है।	(थ) अधिकतम 20% तक।

व्याख्या : 1. **बाग** (किसी बाग को उसी रूप में केवल तभी माना जायेगा यदि उसका क्षेत्रफल कम से कम एक एकड़ हो और उसमें कम से कम एक वर्ष की आयु के 35 फलदार वृक्ष हों तथा इसकी पुष्टि में राजस्व लेखे में प्रविष्टि विद्यमान होनी चाहिए)।

2. **पौधशाला/वन पौधशाला** (किसी पौधशाला/वन पौधशाला को उसी रूप में केवल तभी माना जायेगा यदि उसका क्षेत्रफल एक कनाल है, जहां फलदाई या अन्य पौधे बेचने या लगाने के लिए उगाये जाते हैं)।

टिप्पण : सभी दूरियों की गणना भट्ठे के पात्र के निकटतम बाहरी किनारे से की जानी चाहिए जिस पर विनिर्दिष्ट दूरियां निर्धारित की जानी हैं :

परन्तु जिला मजिस्ट्रेट ऐसे ईंट भट्ठे के मालिक की अनुज्ञप्ति नवीकृत कर सकता है जिसका ईंट भट्ठा उस उपरोक्त विनिर्दिष्ट दूरी से कम पर पहले से कार्य कर रहा हो या चल रहा हो बशर्ते कि किसी अनुज्ञप्ति को निलम्बित या रद्द करने से पहले सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा :

परन्तु यह और कि कोई भी अनुज्ञप्ति तब तक स्वीकृत नहीं की जायेगी जब तक अनुज्ञप्ति की स्वीकृति के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति गांव के जोहड़ से ईंटें बनाने के लिए मिट्टी/ईंट वाली मिट्टी निकालने का वचन नहीं देता। तथापि, जिला मजिस्ट्रेट इस वचनबद्धता से छूट दे सकता है, यदि उसकी संतुष्टि हो जाती है कि निकट के क्षेत्र में तालाब नहीं है जहां ईंट भट्ठा लगाना प्रस्तावित है, या ऐसे जोहड़ से मिट्टी ईंट बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है।

व्याख्या : **'अनुसूचित सड़क'** का वही अर्थ होगा जो उसे पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास तथा निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41) में दिया गया है।"।

3. उक्त आदेश में, खण्ड 21 के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"21. **छूट प्रदान करने की शक्ति.**—राज्य सरकार किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों की किसी श्रेणी को आदेश में यथाविनिर्दिष्ट खण्ड 4 के उप-खण्ड (iii) के उपबन्धों के अध्यधीन इस आदेश के सभी या किन्हीं उपबन्ध के लागू होने से छूट प्रदान कर सकती है और किसी भी समय ऐसी छूट को निलम्बित अथवा रद्द कर सकती है।"।

एल० एस० एम० सालिंस,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
खाद्य तथा पूर्ति विभाग।

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को अग्रेषित है :—

1. आयुक्त, अम्बाला, हिसार, रोहतक तथा गुड़गांव मंडल।
2. राज्य के सभी उपायुक्त।
3. राज्य के सभी जिला खाद्य व पूर्ति नियंत्रक।
4. राज्य के सभी जिला सैशन जज।
5. राज्य के सभी पुलिस अधीक्षक।
6. महानिदेशक, पुलिस, हरियाणा।
7. महानिरीक्षक, पुलिस, सी०आई०डी०, हरियाणा, चण्डीगढ़।
8. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय।
9. विधि परामर्शी तथा सचिव, हरियाणा सरकार, विधि विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा० क्र० 4909-लीगल-111(99)बी/2008/656, दिनांक 4-6-2008 के संदर्भ।
10. महाअधिवक्ता, हरियाणा, चण्डीगढ़।
11. निदेशक, लोक सम्पर्क, हरियाणा।
12. खाद्य व पूर्ति विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ के सभी अधिकारी।

लीलाधर,
अतिरिक्त निदेशक,
कृते: वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
खाद्य एवं पूर्ति विभाग।

[Authorized English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

FOOD AND SUPPLIES DEPARTMENT

Order

The 15th September, 2008

No. S.O. 87/P.A. 1/1949/S. 3/2008.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the East Punjab Control of Bricks Supplies Act, 1949 (East Punjab Act 1 of 1949), the Governor of Haryana, hereby makes the following order further to amend the Haryana Control of Bricks Supplies Order, 1972, namely :—

1. This order may be called the Haryana Control of Bricks Supplies (Amendment) Order, 2008.

2. In the Haryana Control of Bricks Supplies Order, 1972 (hereinafter called the said order), in clause 4, for sub-clause (iii), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(iii) The District Magistrate may grant or renew or refuse to grant or refuse to renew a license for reason to be recorded in writing, provided that site of the Kiln is situated at distances not less than those indicated below :—

Category	Distance	Measurement of distance	Maximum relaxation if any, to be allowed under clause 21
1	2	3	4
(a) By pass (b) Scheduled roads (c) Other district pucca road (d) Village link road	(a) 100 meters (b) 30 meters (c) 30 meters (d) 30 meters	Distance is to be measured from the nearest edge of the road reservation.	(a) Not relaxable (b) Not relaxable (c) Not relaxable (d) Not relaxable
(e) Municipal limits for A and B class cities and C class cities/town	A Class - 3 kilometer B Class - 2 kilometer C Class - 800 meters	Distance is to be measured as the crow flies from the nearest portion of the Municipal limits.	(e) Maximum upto 20% each
(f) Village abadi	800 meters	Distance is to be measured as the crow flies from the nearest portion of the outer edge of Phirni and where there is no Phirni the distance is to be measured from the outer edge of the Abadi.	(f) Maximum upto 20%

Category	Distance	Measurement of distance	Maximum relaxation if any, to be allowed under clause 21
1	2	3	4
(g) School/ Dispensary and Hospital (h) Other Educational and Public Utility Institutions (i) Public Park	One kilometer each	Distance is to be measured as the crow flies from the nearest portion of the boundary line/wall.	(g) Maximum upto 20% (h) Maximum upto 20% (i) Maximum upto 20%
(j) Garden/Nursery/ Forest Nursery (k) Reserve Forest	East-West and North-South One kilometer each	Distance is to be measured as the crow flies from the nearest boundary line, wall of the institution.	(j) Maximum upto 10% (k) Maximum upto 10%
(l) Electricity Transmission Lines (not less than 220 kilowatt)	600 meter (on both sides from the transmission line)	Distance is to be measured as the crow flies from the nearest transmission line.	(l) Maximum upto 20%

Explanation.—1. Garden (A garden shall be considered as such only if it has an area of atleast one acre and having 35 fruit trees of the age of minimum one year and in support of this, entries should exist in the revenue records).

2. Nursery/Forest Nursery (A Nursery/Forest Nursery shall be considered as such only, if it has an area of one kanal where fruit or other plants are reared for sale or plantation).

Note :— All distances should be reckoned with reference to nearest outer edge of the vessel of the kiln on which side the specified distances are to be determined :

Provided that the District Magistrate may renew a licence of such brick kiln owner whose brick kiln is already functioning or operating at a distance less than those specified above :

Provided further that before suspending or revoking a licence a reasonable opportunity of being heard shall be afforded to the person concerned :

Provided further that no licence shall be granted unless the person making an application for the grant of licence undertakes to procure clay/brick earth for the manufacture of bricks from the village pond. The District Magistrate may,

however, dispense with this undertaking if he is satisfied that either there is no pond in the area nearby where the brick kiln is proposed to be set up or clay from such pond is not suitable for manufacture of brick.

Explanation.— 'scheduled road' shall have the same meaning as is assigned to it in the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963).".

3. In the said order, for clause 21, the following clause shall be substituted, namely :—

"21. **Power to exempt.**—The State Government may exempt any person or class of persons from the operation of all or any of the provisions of this order subject to the provisions of sub-clause (iii) of clause 4 as may be specified in order and may at any time suspend or rescind such exemption.".

L. S. M. SALINS,
Financial Commissioner and Principal Secretary
to Government Haryana, Food and Supplies Department.

Copy is forwarded to :—

1. The Commissioners, Ambala, Rohtak, Gurgaon and Hisar Division.
2. All the District Magistrates in the State.
3. All the District Food and Supplies Controllers in the State.
4. All the District and Session Judges in the State.
5. All the Superintendents of Police in the State.
6. The Director General of Police, Haryana.
7. The Inspector General of Police (CID), Haryana.
8. The Registrar, Punjab and Haryana High Court, Chandigarh.
9. The Legal Remembrancer and Secretary to Government Haryana, Legislative Department, Chandigarh with reference to his office U.O. No. 4909-Leg. III(99)B/2008/656, dated 4-6-2008.
10. The Advocate General, Haryana, Chandigarh.
11. The Director of Public Relations, Haryana, Chandigarh.
12. All the officers at Headquarters of Food and Supplies Department, Haryana, Chandigarh.

LILA DHAR,
Additional Director,
for Financial Commissioner and Principal Secretary
to Government Haryana, Food and Supplies Department.

44615—C.S.—H.G.P., Chd.